भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 785

दिनांक 29.02.2000 को उत्तर के लिए

राजभाषा

785. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि में हिंदी के प्रयोग को प्रत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सभी विभागों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए किन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री आई.डी.स्वामी)

(क) से (ग) तक : राजभाषा के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने केलिए पत्र-पत्रिकाओं और विचार गोष्ठियों के माध्यम से और विधि के मानक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद कराकर एक उपयुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार की यह सुविचारित नीति रही है कि प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्‌भावना द्वारा राजभाषा हिंदी का प्रयोग इसके कार्यालयों में करवाया जाए । तद्‌नुसार राजभाषा हिंदी में कामकाज की गति बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण तथा अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद का प्रशिक्षण देना,

(ख) विभिन्न राजभाषा संबंधी समितियों की बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करना,

(ग) टी.वी. तथा रेडियो स्पाट्स का निर्माण व प्रसारण कराना,

(घ) राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण कराना,

(ङ) वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,

(च) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों का निरीक्षण कराना,

(छ) विभिन्न प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं का कार्यान्वयन करना, इत्यादि ।